हुक्म		अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
01/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा०पत्र u/s 212 RT r.w.O. 39 R 1&2 CPC के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। धारा- 212 RT Act r.w.O. 39 R 1&2 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिये इसे निम्न 03 बिन्दुओ पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :	

अधि० प्रार्थीया द्वारा कथन किया गया कि ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख०नं० 670 रकबा 5-01 बीघा भूमि प्रार्थीया के खाते व कब्जे मे दर्ज रिकार्ड है जो उसे अपने पिता घीसा से विरासत मे प्राप्त हुई थी। वादग्रस्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है फिर भी ताकत के बल पर जबरन कब्जा करने आमदा थे। प्रार्थीया द्वारा वाद पेश करने के बाद अपनी ताकत दिखाते हुई जबरन कब्जा कर लिया और प्रार्थीया को धमकिया दे रहे है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष मे है।

अधि० अप्रार्थीगण द्वारा बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीया अनुसूचित जाति (SC) की महिला है जबकि अप्रार्थीगण सामान्य श्रेणी के और SC श्रेणी की भूमि पर General श्रेणी द्वारा अवैध कब्जे किये जाने के आरोपो का वाद (suit) अन्तर्गत धारा-188 RT मे पोषणीय नहीं है। प्रार्थीया को u/s 183B or 183C RT Act के अधीन वाद [illegible] किया जाना चाहिए। आगे तर्क किया कि [illegible] का कारण हेतुक किस [illegible], किस कारण उत्पन्न हुआ - यह [illegible] नहीं है। जब मूलवाद मे ही cause of action उत्पन्न नहीं हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुनेल जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:45:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तो प्रा० पत्र मे भी cause of action arise नहीं होता। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थिया के पक्ष मे साबित नहीं है।

वाद प्रा० पत्र के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम हुलेल की वादग्रस्त आराजी ख०न० 670 रकबा 5-01 बीघा की जमाबंदी संवत 2073-76 व 2069-72 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी की recorded Khatedar tenant है। अप्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार वादग्रस्त भूमि पर नहीं है। प्रार्थिया द्वारा पेश वादग्रस्त भूमि की खसरा गिरदावरी संवत ..... (अंकित नहीं) जारी दिनांक 16/07/2019 के अनुसार वादग्रस्त भूमि "पड़त" पड़ी हुई थी और काश्तकार के खाने मे भी "प्रार्थिया" का नाम दर्ज है। अतः साबित है कि प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थिया के पक्ष मे है (अन्य प्रश्न मूलवाद मे तय होंगे)

(ब) सुविधा का संतुलन :- आवे० प्रार्थिया द्वारा कथन किया कि प्रार्थिया वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार कृषक है, जिस पर पहले प्रार्थिया के पिता धीसा मेघवाल का कब्जाकाश्त था और फिर प्रार्थिया का कब्जाकाश्त था लेकिन दौराने वाद (suit) अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा कर भूमि को खुर्द-बुर्द कर बेचने की धमकी दे रहे है। प्रार्थिया को बेकब्जा कर प्रार्थिया के खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। अतः प्रार्थिया की पैतृक व खातेदारी की भूमि को नष्ट व खुर्द बुर्द [illegible] के लिए प्रार्थिया के पक्ष स्थगन आदेश जारी [illegible] से सुविधा का संतुलन प्रार्थिया [illegible] मे है।

आवे० अप्रार्थीगण ने कथन किया कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:45:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(5)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	वादग्रस्त आराजी पर ना तो प्रार्थिया के पीता घीसा मेघवाल का कब्जा था और ना ही कभी प्रार्थिया का कब्जा रहा है। प्रार्थिया के नाम केवल राजस्व रिकार्ड मे ही विरासत से दर्ज हुआ है, कभी भी कब्जा अन्तरण ही नही हुआ है। वादग्रस्त आराजी पर पीढीयो से अप्रार्थीगण व इनके पूर्वजो का ही चला आ रहा है। इन वर्षो के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर भू-सुधार (improvements) एवं विकास कर इसे उपजाऊ बनाया और वास्तविक स्वामी / खातेदार की तरह देखभाल की है। प्रार्थिया वर्षो से अपने ससुराल मे रहती है, कभी भी भूमि की सुरक्षा व देखभाल नही की। अत: वास्तविक अर्थो मे, अप्रार्थीगण द्वारा ना तो कोई जबरन कब्जा किया है और ना ही प्रार्थिया के खातेदारी अधिकारो का कोई हनन किया है और इसलिए स्थगन आदेश जारी होने से प्रार्थिया की तुलना मे अप्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी अर्थात सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य मे पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थिया द्वारा पेश वादग्रस्त भूमि खसरा नं० 670 की ससरा गिरदावरी दिनांक 16/07/2019 के अनुसार भूमि पड़त पड़ी थी लेकिन कब्जा प्रार्थिया का ही है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने वर्षो पुराने कब्जेकाश्त के कथनो के समर्थन मे कोई भी documentary evidence and or oral evidence पेश नही किया है। प्रार्थिया अनुसूचित जाति (SC) की सदस्य है जबकि अप्रार्थीगण सामान्य श्रेणी के [illegible] है अतः इस्तगाशा प्रकरण मे adverse possession [illegible] principle लागू नही होगा। अप्रार्थी[illegible] वादग्रस्त भूमि के सुधार कार्य (improvements) करने का भी कोई भी साक्ष्य पेश नही किया है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध बिना किसी strong evidence के स्थगन जारी से खातेदार को अत्यधिक असुविधा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:45:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म
में

होना जाहिर है परिणामतः प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

(ग) अपूरणीय क्षति :- हस्तगत प्रकरण में, प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीया के पक्ष में जाहिर/साबित है। प्रार्थीया के खाते की आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जे का प्रयास करने एवं धमकी देने से यदि प्रार्थीया की भूमि पड़त रह रही है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रा० पत्र- 212 RT Act व.प्र.O. 39 R1 & 2 cpc स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण 1 से 3 को तादैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थीया की वादग्रस्त आराजी ख० नं० 670 रकबा 5-01 बीघा पर प्रार्थीया के कब्जे में दखल नही देवे। प्रार्थीया को शांतिपूर्ण काश्त करने देवे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

(हस्ताक्षर)
01/04/2025
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी ... पिड़ावा जिला झालावाड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:45:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner